संख्या:95/2019/2027ई-2/तेरह-2019-370/1999

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2019

विषय: मे. सरशादी लाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, मंसूरपुर आसवनी, मुजफ्फरनगर को आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 340 लाख ली. से बढ़ाकर 875 लाख ली. (पेय 525 लाख ली. एवं औद्योगिक 350 लाख ली.) के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले 150 कि.ली. प्रतिदिन वाश टू ई.एन.ए. प्लान्ट तथा आसवनी की वर्तमान स्वीकृत क्षमता 340 लाख ली. का 90 प्रतिशत अर्थात स्वीकृत पेय क्षमता 272 लाख ली. से बढ़ाकर 306 लाख ली. वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-61/दो-प्रा.डी.-21/मंसूरपुर आसवनी, दिनांक 30-09-2019 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06-11-2019 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-2258 ई-2/तेरह-2019-69/2011, दिनांक 18-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स सरशादी लाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, मंसूरपुर आसवनी, मुजफ्फरनगर की वर्तमान स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 340 लाख ली. वार्षिक के अन्तर्गत वर्तमान में स्वीकृत पेय क्षमता 272 लाख ली. को बढ़ाकर स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता का 90 प्रतिशत अर्थात 306 लाख ली. वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. इसके अतिरिक्त आपके उक्त पत्र दिनांक 30-09-2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि के प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स सरशादी लाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, मंसूरपुर की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 340 लाख ली. वार्षिक (340 दिवस के आधार पर) जिसके अन्तर्गत 272 लाख ली. पेय क्षमता तथा शेष 68 लाख ली. औद्योगिक क्षमता है, को 150 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के वाश टू ई.एन.ए. प्लान्ट की स्थापना के पश्चात् बढ़ाकर 250 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात 875 लाख ली. वार्षिक (350 दिवस के आधार पर) निर्धारित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके अन्तर्गत आसवनी द्वारा 350 लाख ली. औद्योगिक अल्कोहल का निर्माण किया जाएगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में इकाई प्रत्येक दशा में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।